प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'नौ' [26/2/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 50]

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 50 के प्रश्नांश "ख" का परिशिष्ट

प्रेषक: श्री रामलल्लू वैश्य — मध्यप्रदेश शासन — अतारांकित दिनांक 26/2/2016

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्र. एफ 1–8/2003/17/मेडि–1 — भोपाल, दिनांक: 30.12.2003

प्रति,

1. आयुक्त, स्वास्थ्य
   मध्यप्रदेश

2. समस्त जिलाध्यक्ष,
   मध्यप्रदेश

विषय– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक का प्रभार दिये जाने के संबंध में

जिलो में स्वीकृत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पद नियमानुसार डी.एच.ओ. एवं विशेषज्ञ संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। उक्त पद पर नियमित पदोन्नति द्वारा पद पूर्ति न होने की स्थिति में पद का अंतरिम रूप से प्रभार जिले में पदस्थ वरिष्ठतम विशेषज्ञ/डी.एच.ओ. को वरिष्ठता के आधार पर दिये जाने की विभाग की नीति है।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक का पद जिला चिकित्सालय में पदस्थ वरिष्ठतम विशेषज्ञ को दिया जाता है।

2. यह देखने में आया है कि कहीं-कहीं उपरोक्त पद रिक्त होने पर प्रभार देने में वरिष्ठता क्रम का पालन नहीं किया गया है जिससे प्रशासकीय व्यवस्था विपरीत रूप से प्रभावित हो सकती है। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि भविष्य में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक का पद रिक्त होने और विभाग द्वारा नियमित पदस्थापना किये जाने तक निम्नानुसार ही प्रभार दिया जाये:–

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रभार जिले में पदस्थ वरिष्ठतम विशेषज्ञ/डी.एच.ओ. को ही दिया जाये। दोनो संवर्गो के अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता तय करते समय सहायक शल्य चिकित्सक संवर्ग में प्रथम नियुक्ति को ध्यान में रखा जाये।
2. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक का प्रभार जिला अस्पताल में पदस्थ वरिष्ठतम विशेषज्ञ को दिया जाये।

   वरिष्ठता क्रम केवल निम्न परिस्थितियों में ही तोड़ा जा सकता है:–

   – शारीरिक विकलांगता के कारण वरिष्ठतम चिकित्सक उक्त पद पर कार्य करने की स्थिति में न हो,
   – उन्हें सेवानिवृत्ति में एक या दो माह ही शेष हों
   – गंभीर आरोपो पर से चिकित्सक के विरूद्ध विभागीय जॉच/अपाराधिक मामले प्रचलित हों।

ऐसी परिस्थिति में भी प्रभार अगले वरिष्ठतम चिकित्सक को ही दिया जाये।

(Gazatted)

3. उपरोक्त मापदण्डो का पालन करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक का पद आकस्मिक रूप से रिक्त होने व राज्य शासन द्वारा नियमित पदस्थापना किये जाने तक जिला कलेक्टर अपने स्तर पर प्रभार बावत् अंतरिम व्यवस्था कर सकते हैं।

कंडिका 2 में दी गई परिस्थतियों के अतिरिक्त यदि कलेक्टर यह महसूस करते हैं कि ऐसे अन्य कोई कारण विद्यमान है जिसकी वजह से वरिष्ठतम चिकित्सक को प्रभार नहीं दिया जा सकता है तब कलेक्टर संपूर्ण परिस्थति दर्शाते हुए अपना स्पष्ट प्रस्ताव तत्काल राज्य शासन को भेजेंगे और राज्य शासन की लिखित अनुमति के बाद ही वरिष्ठता क्रम को त्यागते हुए किसी अन्य चिकित्सक को प्रभार दिया जा सकेगा।

उपरोक्त आदेशो का कड़ाई से पालन किया जाये।

(अलका सिरोही)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृष्ठाकंन क्र. एफ 1–8/2003/17/मेडि–1,

भोपाल, दिनांक 30.12.2003

प्रतिलिपि:

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर माननीय मंत्रीजी को अवगत कराने हेतु।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/चिकित्सा सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. उप सचिव 1/2/3, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय।
5. क्षेत्रीय संयुक्त संचालक,(प्रशिक्षण एवं विधि) भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
7. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश।
8. स्टाक फाइल

(आर.सी. सक्सेना) 30/12
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Dy. Director (Gazatted)
Directorate Health Services
Madhya Pradesh

Generated by CamScanner from intsig.com